



मुख्यालय
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46 वी, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
Ph : 0135-2658086, Fax : 0135-2718092, Web : www.ueppcb.uk.gov.in

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु निम्न प्रस्तावकों के द्वारा लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), उत्तराखण्ड द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 यथासंशोधित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद, चमोली या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून; मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46वी, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून; कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली; कार्यालय जिला पंचायत, चमोली; जिला उद्योग केन्द्र, चमोली एवं कार्यालय तहसील-घाट, जिला-चमोली में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

पूर्व में निर्धारित लोक सुनवाई किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गयी थी, निम्न उल्लेखित परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित लोक सुनवाई की तिथि, समय व स्थान निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

इकाई का नाम	पूर्व में लोक सुनवाई की तिथि एवं समाचार पत्रों के नाम	वर्तमान में लोक सुनवाई की तिथि	लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल	समय
श्री मोहन सिंह रावत, पुत्र श्री चन्द्र सिंह रावत, सोप स्टोन माईन्स, खसरा नं.-3851, 3852, 3853, 3854 एवं अन्य, ग्राम-घुनी, तहसील-घाट एवं जिला-चमोली (Area: 4.498 Hect. Production: 322, 116 TPA Soap Stone & 8,523 M3 OB/Waste)	30.09.2019	23.01.2020	परियोजना स्थल (ग्राम-घुनी, तहसील-घाट एवं जिला-चमोली)	प्रातः 11:00 बजे से
मै. गोलवा मिनरल्स प्रा. लि., सोप स्टोन माईन्स, ग्राम-प्राणमती, तहसील-घाट, जिला-चमोली (Area: 11.183 Hect. Production: 17,508 TPA)	24.09.2019	22.01.2020	परियोजना स्थल (ग्राम-प्राणमती, तहसील-घाट, जिला-चमोली)	प्रातः 11:00 बजे से

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, यू.ई.पी.पी.सी.वी., ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Board

DJ ddu

20/12/19